न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 28/2013

गोपी उर्फ रामगोपाल पुत्र लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर

– वादी –

बनाम

1. बजरंग पुत्र मोहन
2. श्रीमति सुमित्रा स्त्री रामावतार

   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार धोद, जिला सीकर
4. उप पंजीयक , सीकर

–– प्रतिवादीगण ––

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील वादीगण – श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

वकील प्रतिवादी – ———

निर्णय

दिनांक –

वकील वादी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा द्वारा यह दावा पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 4.68 है0 तन ग्राम मोरडूंगा में स्थित है उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 389 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा थे जो बाद में तरमीम होकर खसरा नम्बर 389/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा व 389/2 रकबा 6 बीघा हो गये। उक्त भूमि को वादी का पिता लिछमण उर्फ लक्ष्मीनारायण काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहले से बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता चला आ रहा था, तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजियात में वादी ने दो टयूबवेल मय विधुत कनेक्शन अपने नाम से लगा रखें है एवं 5–7 पक्के मकानात बना कर मय परिवार आबाद है। प्रतिवादी सं. 1 के पिता व रामेश्वर ने पटवारी व राजस्व कर्मचारियों से साढ गांठ करके बिना कब्जा काश्त के ही गलत खसरा गिरदावरी इन्द्राज के आधार पर ख. न. 590 के गत खसरा नम्बर 389/1 रकबा 6 बीघा भूमि की खातेदारी अपने नाम से करवा ली, जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी का निरन्तर चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत 209 से 22 में भी बकाश्त वादी की

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

ही अंकित है तथा कब्जा काश्त भी वादी का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी को जब दुरूस्ती करवाने को कहा तो राजस्व अभियान में दुरूस्ती करवाने का आश्वासन दिया। वाद में विवादित आराजी के 1/6 भाग की खातेदारी का एक विक्रय पत्र रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द ने वादी की पुत्रवधु प्रतिवादी संख्या 2 सुमित्रा पत्नी रामावतार के हक में रजिस्टर करवा दिया । प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहन का देहान्त करीब 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासत का नामा0 खुलते ही खातेदारी वादी के नाम करवाने को कहा परन्तु वादी ने विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुलवाया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ख. नं. 590 रकबा 4.68 है0 के 1/6 भाग जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहन के हक में अंकित है का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता या उसके वारिसान के नाम खातेदारी अंकित हो जावे तो उसे हजफ किया जाये। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिस पर प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल के उपस्थित नहीं आये। जिसके कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

वकील वादी की बहस सूनी गई। वकील वादी ने दावा रिकार्ड के आधार पर एंव कब्जा काश्त के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। डीएनजे राज 2000–01 स्पी. पेज 245 की नजीर पेश की । जिसमें यह निर्धारण किया गया है कि जब प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नहीं करे ओर वादी के वाद का प्रतिरोध नहीं करे तो डिक्री ही दी जावेगी।

हमने पत्रावली का व राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम मोरडूंगा की जमाबंदी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–1 के अनुसार खसरा नम्बर 590 रकबा 4.68 है0 की खातेदारी गोपाल पुत्र लिछमण हि0 2/3 11 बीघा 15 बिस्वा राहिन सीकर केन्द्रीय सहकारी बैक लि. शाखा धोद मूर्तहीन , श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी रामावतार हि0 1/6, मोहन पुत्र बोदूराम हि. 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. देह के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नया खसरा नमबर 590 पुराने खसरा नम्बर 398/1 व 398/2 से बनना प्रमाणित है। प्रदर्श– 3 जमाबंदी सम्वत 2019–22 में पुराने खसरा नम्बर 398/1 रकबा 6 बीघा में रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द व मोहन पुत्र बोदूराम जाति बिरहमन सा. देह बहिस्सा बराबर बकाश्त गोपाल पुत्र लिछमणराम बिरहमन सा. देह दर्ज है। प्रदर्श– 4 खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 19 में भी इसी अनुसार इन्द्राज है। प्रदर्श– 5 के अनुसार रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द द्वारा अपना हिस्सा सुमित्रा देवी के नाम से करवादिया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 398/1 व 398/2 रकबा 6 बीघा एवं 11 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 590 रकबा 4.68 है0 बने हैं। 398/1 रकबा 6 बीघा की खातेदारी पूर्व में सम्वत 2016 से 22 तक रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द एवं मोहन पुत्र बोदु के नाम से दर्ज होकर काश्त गोपाल पुत्र

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द एवं मोहन पुत्र बोदु के नाम से दर्ज होकर काश्त गोपाल पुत्र लिछमण में नाम से दर्ज है। मोहन पुत्र बोदु का देहान्त वादी के कथनानुसार 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। वर्तमान में भी खातेदारी मोहन पुत्र बोदु के नाम से ही दर्ज होना वादी के कथन की ताईद करता है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होना भी वादी की मौन स्वीकृति माना जावेगा। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। वादी के कथन एवं रिकार्ड में अनुसार रामेश्वर पुत्र बिड़दीचन्द द्वारा अपना 1/6 हिस्सा वादी की पुत्रवधु के नाम से जरिये विक्रय पत्र करवाया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्टाम्प डयूटी सहित स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 4.68 है0 में से मोहन पुत्र बोदू के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहन का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार धोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लेकर अमल दरामद करें। डिक्री जारी हो।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर